

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

विविध प्रकरण सं. 05/2020

प्रार्थी—

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एस.ए.
आर. ब्रांच 3rd फ्लोर मेट्रिक्स
मॉल सेक्टर 4 जवाहर नगर
जयपुर 302004

बनाम

अप्रार्थीगण—

1. श्री जितेन्द्र कुमार जाखड़ पुत्र श्री बक्षीराम जाखड़, पता — मैसर्स भारतीय रसायन प्रोडक्ट्स, एस.बी.आई. के सामने, बस स्टेण्ड, नाकौड़ा रोड़, जसोल, जिला बाड़मेर— 344024
2. श्रीमती गजुदेवी पत्नि श्री जितेन्द्र कुमार जाखड़, पता — जाखेनन का बास, ग्राम— सालवासकला वाया बनाड़, जिला जोधपुर
3. श्री रंजीत कुमार मेहता पुत्र श्री धनराज मेहता, मेहता स्ट्रीट, वार्ड नं. 12, जसोल, जिला बाड़मेर 344022



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण
और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपरिस्थिति :-

1. श्री आर.पी. सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपरिस्थित।

आदेश


दिनांक : 26.02.2020

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण श्री जितेन्द्र कुमार जाखड़ व अन्य के विरुद्ध पेश किया गया।
2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण श्री जितेन्द्र कुमार जाखड़ व अन्य की प्रार्थना एवं व्यक्तिगत जमानत पर प्रतिभूतियों के एवज में कुल 13,37,000/- रुपये

Amk
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

का ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक द्वारा जारी ऋण स्वीकृति की सभी शर्तों को स्वीकार किया एवं प्राप्त की गई ऋण सुविधा की राशि एवं उस पर देय ब्याज वापिस मांगने पर भुगतान करना स्वीकार किया। अप्रार्थीगण सं. द्वारा स्वीकृत ऋण सुविधाओं का उत्तरदायित्व स्वीकार किया तथा प्रतिभूति के रूप में सम्पत्ति यथा श्रीमती गजु देवी पत्नि श्री जितेन्द्र कुमार जाखड़ की प्लॉट नं. 3/200 हाउसिंग बोर्ड बालोतरा जिला बाड़मेर स्थित आवासीय सम्पत्ति क्षेत्रफल 239.40 वर्गमीटर तथा श्री जितेन्द्र कुमार जाखड़ की इण्डिगो-सीएस एलएस कार, रजि. नं. आरजे19 सीसी 6592 इंजिन नं. 14सीआरएल09एनवाईवाई को प्रार्थी बैंक के पक्ष में बन्धक द्वारा रहन रखना स्वीकार किया एवं दिनांक होम लोन 15.09.2010 एवं कार लोन 15.11.2011 को साम्यिक बन्धक रहन किया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.04.2016 तक बकाया शेष रूपये 8,91,731/- भुगतान नहीं करने पर अप्रार्थी का खाता एनपीए घोषित कर ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से पंजीकृत पावती डाक द्वारा नोटिस जारी किये। प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर प्रतिभूति रहन रखी गई उक्त प्रतिभू सम्पत्ति अप्रार्थीगण के कब्जे व स्वामित्व में है इस कारण प्रार्थी बैंक द्वारा प्रतिभूत आस्ति को कब्जे में लेना सम्भव नहीं है, जिसका कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

- हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी पक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 13,37,000/- ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त सम्पत्ति प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी है एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 01.04.2016 तक कुल 8,91,731/- बकाया वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये है तथा समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशन कर समुचित रूप से संसूचित किया जा चुका है। **सुनंदा कुमारी (श्रीमती) बनाम स्टैंडर्ड चार्टर्ड**


जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

बैंक, 2007 (135) कम्प.केस. 604 (कर्नाटक) के प्रकरण में जैसाकि निर्धारित किया गया है कि यदि धारा 13(2) का नोटिस पूर्व में दिया जा चुका है तो ऋणी को मजिस्ट्रेट की ओर से धारा 14 के अधीन प्रार्थना पत्र का पृथक से नोटिस जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की ओर से धारा 13(2) को नोटिस विधिवत रूप से अप्रार्थीगण को संसूचित किया गया है, इसके पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। ऐसे में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन रखी गई आस्तियों को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त सम्पत्ति "श्रीमती गजु देवी पत्नि श्री जितेन्द्र कुमार जाखड़ की प्लॉट नं. 3/200 हाउसिंग बोर्ड बालोतरा जिला बाड़मेर स्थित आवासीय सम्पत्ति क्षेत्रफल 239.40 वर्गमीटर तथा श्री जितेन्द्र कुमार जाखड़ की इण्डिगो-सीएस एलएस कार, रजि. नं. आरजे19 सीसी 6592 इंजिन नं. 14सीआरएल09एनवाईवाई" का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी को सम्भलाये जाने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर को आदेश दिया जाता है। इस आदेश की एक-एक प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर एवं प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

5. आदेश आज दिनांक 26.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ansh

(अंशदीप)

जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर